राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड

राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर

कमांकः– प.28(01)RSSB/PG/FAQ/2024/01 **दिनांकः–यथाहस्ताक्षरार्थ**

विषयः– बोर्ड कार्यालय में प्रतिदिन जनसुनवाई के दौरान छात्रों द्वारा प्राप्त समस्या के निराकरण हेतू FAQ अनुमोदन के कम में।

बोर्ड कार्यालय में प्रतिदिन जनसुनवाई के दौरान छात्रों द्वारा निम्न प्रकार की समस्या के निराकरण हेतु सम्पर्क किया जा रहा है। जिसका FAQ प्रतिउत्तर विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र.स.	समस्या का विवरण	प्रस्तावित समाधान
1.	ऑनलाईन दस्तावेज सत्यापन के दौरान निर्धारित समय पर परिनीरीक्षा आवेदन पत्र नहीं भर पाना।	दस्तावेज सत्यापन की समग्र निर्धारित अवधि के दौरान यदि दस्तावेज सत्यापन में चयनित कोई अभ्यर्थी परिवेदना प्रस्तुत करता है कि वह **ऑनलाइन स्क्रूटनी आवेदन नहीं भर पाया तो उसका व्यक्तिगत रूप से ऑनलाइन स्क्रूटनी फार्म भरवाया जाकर उसका ऑनलाइन दस्तावेज सत्यापन करवाया जाना वर्तमान सॉफ्टवेयर में संभव नहीं है साथ ही यह विधिक दृष्टि से भी असंतोष उत्पन्न करने वाला होगा ।** इसके स्थान पर इस प्रकार के आवेदन न भर पाने वाले समस्त अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेज सत्यापन की प्रथम प्रक्रिया पूर्णतः समाप्त हो जाने के पश्चात् द्वितीय व अन्तिम प्रक्रिया के रूप में पुनः आनलाईन स्क्रूटनी फार्म सीमित अवधि के लिए खोले जा सकते हैं। इस द्वितीय प्रक्रिया में प्राप्त होने वाले समस्त ऑनलाइन स्क्रूटनी फार्मस् को पुनः उसी ऑनलाइन दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया से जाँचा जायेगा जिस प्रक्रिया से पूर्व में प्रथम प्रक्रिया में दस्तावेज सत्यापन किया गया था। अथवा ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म स्वीकार किया जाकर दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण की जा सकती है।
2.	ओटीआर के माध्यम से आवेदन पत्र भरने में स्वयं का नाम, पिता का नाम एवं हस्ताक्षर, जन्मतिथि तथा फोटो में भिन्नता होना।	1. ओटीआर के माध्यम से आवेदन पत्र भरने में स्वयं का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, लाईव फोटो व हस्तलिपि नमूना में भिन्नता होने की स्थिति केवल तब ही उत्पन्न होती है जब अभ्यर्थी अपने ओटीआर को बनाने में असावधान होता है। अभ्यर्थी को चाहिये कि वह अपने जनआधार/आधार/एसएसओ से बनाये गये ओटीआर में सभी प्रकार से त्रुटि रहित करले एवं उसके पश्चात ही भर्ती का आवेदन पत्र भरे। आवेदन पत्र को फाईनल सबमिट करने से पूर्व अभ्यर्थी को उसका प्रिव्यू दिखाया जाता है व उसकी सहमति लिया जाकर ही फाईनल सबमिट पर क्लिक कराया जाता है। **फाईनल सबमिट के पश्चात आवेदन पत्र में ओटीआर से आई हुई समस्त सूचनाएं फ्रीज हो जाती है उनमें संशोधन संभव नहीं होता है।** 2. ऑन लाइन आवेदन में अपलोड की गई फोटो एवं हस्ताक्षर को आवेदन के बाद संशोधन हेतु दी जाने वाली 7 दिवस की अवधि में संशोधित करवाया जा सकता है।
3.	आवेदन पत्र में	आवेदन पत्र में अंकित मोबाइल नम्बर की सिम खो जाने ... अभ्यर्थी को

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhag Chand Badhal
Designation : Secretary
Date: 2024.11.03 19:22:01 IST
Reason: Approved

	अंकित मोबाइल नम्बर की सिम गुम हो जाने पर लाईव फोटो लिंक किस तरह आयेगा।	चाहिये कि वह सिम की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाये एवं उसी नम्बर की नयी सिम जारी करवाले। यदि यह नम्बर उसने छोड दिया है तो लाईव फोटो लिंक प्राप्त करने के लिए अपने आधार कार्ड की फोटो प्रति के साथ बोर्ड के सचिव महोदय को संबोधित इस आशय का एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें। साथ ही आवेदक अपने एसएसओ प्रोफाइल/ओटीआर में मोबाइल न0 संशोधित कर लेवें। ऐसा करने से उसे केवल लाईव फोटो का लिंक उसके बदले हुए मोबाइल नम्बर पर मिल जायेगा। ऑफ–लाइन दस्तावेज के समय उक्त लिंक की आवश्यकता नहीं होती है।
4.	आवेदन पत्र में अंकित श्रेणी यथा ओबीसी/एमबीसी/विधवा में संशोधन करवाना।	आवेदन पत्रों में अंकित श्रेणी में रिजर्व (कैटेगरी) से अनरिजर्वड (कैटेगरी) या अनरिजर्वड (कैटेगरी) से रिजर्व (कैटेगरी) को संशोधित करने के लिए अभ्यर्थी को पहले अपने ओटीआर में अपनी श्रेणी को संशोधित करना होगा इसके पश्चात **आवेदन पत्र को एडिट करने की निर्धारित अवधि में (आवेदन की अंतिम तिथी के 07 दिवस तक तथा परीक्षा आयोजन के बाद जारी कार्यालय आदेश के आधार पर 10 दिवस में निर्धारित शुल्क 300रू/देकर ऑनलाईन आवेदन मे संशोधन करवा सकते है।)** जब अपने आवेदन को एडिट करेगा तो संशोधित श्रेणी उसके आवेदन पत्र में प्रदर्शित हो जायेगी।
5.	विकलांग/ गर्भवती महिला/ दुर्घटनाग्रस्त छात्रों द्वारा परीक्षा केन्द्र बदलने हेतु आवेदन करना।	विकलांग/गर्भवती महिला/दुर्घटनाग्रस्त अथवा अन्य किसी भी प्रकार के अभ्यर्थी की **व्यक्तिगत प्रार्थना पर** परीक्षा केन्द्र किसी भी स्थिति में नहीं बदला जायेगा।

(डॉ. बी. सी. बधाल)
सचिव

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhag Chand Badhal
Designation : Secretary
Date: 2024.11.03 19:22:01 IST
Reason: Approved